मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.–148/2013

निर्णय दिनांक :– **13-01-2023**

श्रीचन्द वगै0 **बनाम** कोमल कुमारी वगै0

दावा बाबत इस्तकरार हक दुरूस्ती रिकार्ड व हुक्मइम्तनाईदवामी

वादी की ओर से **श्री संदीप मान एड0** व प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी जाने के कारण उनकी अनुउपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **13.01.2023** को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वादीगण के दावे को डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 79 रकबा 1.64 हैक्टर, हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.12 हैक्टर वाके ग्राम जवाहरपुरा स्थित के वादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा का व वादी संख्या 2/1 लगायत 2/9 को 1/4 बहिस्सा का व वादी संख्या 3/1 लगायत 3/3 को 1/4 बहिस्सा का व वादी संख्या 4 को 1/4 हिस्सा का व जमीन हाल खसरा नम्बर 13 रकबा 1.86 हैक्टर वाके ग्राम जवाहरपुरा स्थित का वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और निर्णय के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकार्ड मे उक्त निर्णय की पालना सुनिश्चित करे। उक्तनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **13.01.2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या 148 / 2013
श्रीचन्द वगै0 बनाम कोमल कुमारी वगै0
निर्णय दिनांक 03.01.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद सं.–148 / 2013

आदेश

प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी

दिनांक :–03.01.2023

दिनांक – 06.12.2022 को अन्तिम बहस सुनने के बाद कर्मवीर पुत्र बदलूराम जाति जाट निवासी हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा की और से श्री अजय कुमार एड0 के द्वारा अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, शामील मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पाया की कर्मवीर पुत्र बदलूराम जाति जाट निवासी हिसार तहसील व जिला हिसार हरियाणा प्रतिवादी संख्या 06 के रूप में पक्षकार है तथा दिनांक 01.12.2022 को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। अतः पूर्व में पक्षकार होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है, खारीज किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़

निर्णय आज दिनांक **03-01-2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़